राज कुमार
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840(कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०-05/2024- 1904 /वि०स०, पटना, दिनांक-20/5/2024ई० ।

प्रिय ....

सप्तदश बिहार विधान सभा का एकादश सत्र कार्यक्रमानुसार दिनांक 12 फरवरी, 2024 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 01 मार्च, 2024 को सभा की बैठक के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया । एकादश सत्र में कार्यक्रमानुसार कुल बारह बैठकें संपन्न हुई ।

<u>अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन</u> [श्री अवध बिहार चौधरी, अध्यक्ष, बिहार विधान सभा]

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा के एकादश सत्र के शुभारंभ के अवसर पर माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुए उल्लेख किया गया कि वर्तमान सत्र में कुल ग्यारह बैठकें होंगी । चूँकि यह बजट सत्र है, इसलिए इसमें बजट को पारित करना सदन का महत्वपूर्ण कार्य है । इस सत्र में सरकार का सदन के प्रति विश्वासमत प्राप्त किए जाने पर विचार होगा । साथ ही सदन के अध्यक्ष के प्रति अविश्वास के संकल्प पर विचार होगा । इसके अलावा वर्ष का प्रथम सत्र होने की स्थिति में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होगा ।

माननीय सदस्यगण, यह संसदीय व्यवस्था की खूबसूरती है कि यहाँ हर तरह के गंभीर विषय आपसी विचार विमर्श से सुलझाए जाते हैं । मेरा आप सबों से आग्रह है कि इस पूरे सत्र में आप अपनी उपस्थिति बनाए रखें ओर राज्य की जनता के हितों के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करें ।

<u>राज्यपाल का अभिभाषण</u>

वर्ष 2024 के प्रथम सत्र के आरम्भ पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अनुसरण में बिहार के महामहिम राज्यपाल, श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा एक साथ समवेत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को बिहार विधान मंडल के सेन्ट्रल हॉल में दिनांक 12 फरवरी, 2024 को सम्बोधित किया गया । श्री संजय सरावगी, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद ज्ञापन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा श्री रामविलास कामत, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा अनुमोदन किया गया । धन्यवाद ज्ञापन के प्रस्ताव पर दिनांक 13 फरवरी, 2024 को वाद-विवाद हुआ तथा प्रस्ताव पारित किया गया ।

<u>अनुमत विधेयक</u>

दिनांक 12 फरवरी, 2024 को महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत निम्नांकित छः (06) विधेयकों के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया :-

<u>महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक</u>

(1) बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023
(2) बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2023
(3) बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023
(4) बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2023
(5) बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023
(6) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2023

अध्यक्ष को हटाये जाने संबंधी संकल्प का प्रस्ताव

दिनांक 12 फरवरी, 2024 को माननीय सदस्य श्री नन्द किशोर यादव द्वारा बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 110 के तहत वर्तमान माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को उनके पद से हटाने संबंधी संकल्प की सूचना को सदन में रखा गया । इस प्रस्ताव के पक्ष में 38 से अधिक माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर समर्थन किया गया फलस्वरूप प्रस्ताव पर विमर्श किये जाने की अनुमति सभा द्वारा दी गई । निवर्त्तमान अध्यक्ष द्वारा आसन का परित्याग किया गया, तदोपरान्त अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को पद से हटाये जाने के संकल्प पर विमर्श हुआ । इसमें माननीय सदस्य श्री भूदेव चौधरी; श्री महबूब आलम; श्री शकील अहमद खां; श्री सत्येन्द्र प्रसाद यादव ने भाग लिया, विमर्शोपरान्त इस संकल्प का निपटारा मत विभाजन से हुआ । संकल्प के पक्ष में 125 मत तथा विपक्ष में 112 मत प्राप्त हुए, निवर्त्तमान माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को उनके पद से हटाये जाने संबंधी संकल्प का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

विश्वास का प्रस्ताव

दिनांक 12 फरवरी, 2024 को सरकार द्वारा विश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसपर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के उपरांत खड़े होकर मतदान की प्रक्रिया हुई, जिसमें सरकार के पक्ष में 129 मत एवं विपक्ष में 0 (शून्य) मत प्राप्त हुआ, फलस्वरूप वर्त्तमान राज्य मंत्रिपरिषद् में विश्वास का प्रस्ताव पारित हुआ ।

अध्यक्ष का निर्वाचन

महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 15 फरवरी, 2024 की तिथि नियत किया गया । अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कुल 15 (पंद्रह) प्रस्ताव प्राप्त हुए । सभी प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री नन्द किशोर यादव को बिहार विधान सभा का अध्यक्ष चुने जाने के संबंध में था । दिनांक 15 फरवरी, 2024 की बैठक में सभा द्वारा श्री नन्द किशोर यादव, स०वि०स० को सर्वसम्मति से बिहार विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया । निर्वाचनोपरान्त सभी दलों के नेतागण क्रमशः श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री; श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय नेता विरोधी दल; श्री सम्राट चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री; श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय उप मुख्यमंत्री; श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री; श्री महेश्वर हजारी, माननीय उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा; श्री सुमित कुमार सिंह, माननीय स०वि०स०; श्री अजय कुमार सिंह, माननीय स०वि०स०; श्री सत्यदेव राम, माननीय स०वि०स०; श्री जीतन राम मांझी, माननीय स०वि०स०; श्री अजय कुमार, माननीय स०वि०स०; श्री विनय बिहारी, माननीय स०वि०स० एवं श्री अवध बिहारी चौधरी, माननीय स०वि०स० द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुये अपना विचार सदन के समक्ष रखा गया ।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन [श्री नन्द किशोर यादव, अध्यक्ष, बिहार विधान सभा]

सर्वसम्मती से अध्यक्ष निर्वाचित होने के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विशेष रूप से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी; भारत के गृहमंत्री श्री अमित शाह जी; भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जे०पी०नड्डा जी के प्रति आभार प्रकट किया गया । साथ ही सदन नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी; माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी; माननीय उपमुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी; माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी; सभी दलों के माननीय नेतागण एवं माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हुये सभा को संबोधित किया गया । माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि लोकतंत्र सामूहिक न्याय निर्णय की एक पद्धति है । विधान सभा यानी विधायी निकाय उस पद्धति के नियामक हैं । संसदीय प्रणाली में अध्यक्ष, विधान सभा इस संस्था के स्वामी नहीं होते हैं बल्कि वे सदस्यों के संरक्षक होते हैं । विधान सभा का पूरा कार्य बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत संपन्न की जाती है । भारत के संविधान के अनुच्छेद-208 के तहत 21 दिसंबर, 1965 को इसी विधान सभा के द्वारा यह नियमावली एडॉप्ट की गई थी और 01 जनवरी, 1966 से यह लागू है । कालक्रम में इस नियमावली में कई संशोधन हुए और आज संविधान के दायरे में इसी नियमावली के आधार पर अध्यक्ष इस आसन पर बैठकर सभा का संचालन करते हैं । यह नियमावली हम सबके लिए गीता के समान है । मुझे या इस आसन पर बैठने वाले किसी भी सदस्य को इस नियमावली के अनुकूल ही अपने को सीमित रखना अनिवार्य होता है । अध्यक्ष के आसन पर बैठा व्यक्ति दल से या दलीय राजनीति से ऊपर उठकर पूरी निष्पादन करता है । मैं आप सबों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस

नियमावली के तहत कार्य करूंगा और संसदीय परंपराओं का निर्वहन भी करूंगा साथ ही माननीय सदस्यों के विशेषाधिकारों और उनकी मान-मर्यादा का भी ध्यान रखूंगा ।

.सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सदन की कार्यवाही चले यह केवल अध्यक्ष की नहीं, हम सबकी जिम्मेवारी है और आज जिस माहौल में आप बैठे है, जिस माहौल में आप चर्चा कर रहे हैं तो मुझे दो पंक्ति याद आ रही है उस पंक्ति को कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा:-

''कल हम न होंगे, न गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा,
जो लम्हे हैं, चलो हंसकर बिता लें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा ।''

वित्तीय कार्य

दिनांक 13 फरवरी, 2024 को वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आय-व्ययक उपस्थापित किया गया ।

दिनांक 19 फरवरी, 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श एवं सरकार का उत्तर हुआ । वित्तीय वर्ष 2024-2025 में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर 04 दिनों तक वाद-विवाद चला । सभी प्राप्त कटौती प्रस्ताव को अमान्य कर दिया गया तथा अनुदानों की मांग पारित हुआ एवं शेष अनुदानों की मांग गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत हुआ । तत्संबंधी बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2024 दिनांक 28 फरवरी, 2024 को पारित हुआ ।

दिनांक 23 फरवरी, 2024 को वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया गया । दिनांक 27 फरवरी, 2024 को तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के पश्चात् सभा द्वारा स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये । तदुपरान्त बिहार विनियोग विधेयक, 2024 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष द्वारा पद का त्याग

सप्तदश बिहार विधान सभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2024 के पूर्वाहन से अपने उपाध्यक्ष पद का त्याग कर दिया गया । इसकी सूचना से सदन को अवगत कराया गया । उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2024 की तिथि नियत किया गया ।

उपाध्यक्ष का निर्वाचन [श्री महेश्वर हजारी, उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा]

उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कुल 11 (ग्यारह) प्रस्ताव प्राप्त हुए । सभी प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र नारायण यादव को बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष चुने जाने के संबंध में थे । दिनांक 23 फरवरी, 2024 की बैठक में सभा द्वारा श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स०वि०स० को सर्वसम्मति से बिहार विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया ।

निरर्हित

दिनांक 22 फरवरी, 2024 को सभा सचिव द्वारा माननीय न्यायालय, विशेष न्यायाधीश एम०पी०/एम०एल०ए०, भोजपुर, आरा द्वारा वाद संख्या-51/2015 में पारित न्याय निर्णय के आलोक में श्री मनोज मंजिल, स०वि०स०, क्षेत्र सं०-195, अगिआँव के विरूद्ध दोष सिद्धि एवं दंडादेश के परिणाम स्वरूप दिनांक 13.02.2024 के प्रभाव से बिहार विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित होने की सूचना से सदन को अवगत कराया गया ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत् बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदनों की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
2. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत् पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदनों की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-30 के तहत् बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
4. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022-23 के प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' को महामहिम राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सभा मेज पर रखी गयी ।
5. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्ताव किया गया कि ''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022-23 के प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो ।''
6. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के परिणाम बजट, बाल कल्याण बजट, जेन्डर बजट एवं हरित बजट पुस्तिकाओं की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
7. संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्ताव किया गया कि ''यह सदन बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का गठन 01 अप्रैल, 2024 से सप्तदश बिहार विधान सभा के कार्यकाल तक के लिए बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241(1) के परन्तुक के तहत निर्वाचन प्रक्रिया को शिथिल कर अध्यक्ष, बिहार विधान सभा उन समितियों के सदस्यों का मनोनयन करें ।''
8. संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्ताव किया गया कि ''यह सदन बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241(1) के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् से सिफारिश करता है कि वह इस सदन के 01 अप्रैल, 2024 से सप्तदश बिहार विधान सभा के कार्यकाल तक के लिए गठन किये जाने वाले क्रमशः लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सह सदस्यों के लिए बिहार विधान परिषद् से क्रमशः चार, छः एवं तीन सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सहमत हो तथा बिहार विधान परिषद् सदस्यों के नाम इस सदन को सूचित करें ।''

विधायी कार्य

सदन द्वारा सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयकों का पुरःस्थापन, विचारण एवं पारण किया गया ।

1. बिहार विनियोग विधेयक, 2024
2. बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2024
3. बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024
4. बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक, 2024
5. बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्त्तन विधेयक, 2024
6. बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2024
7. बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024
8. बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024
9. बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024
10. बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024
11. बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024
12. बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024

याचिका

इस सत्र में कुल 157 याचिकाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 146 स्वीकृत हुए तथा 11 अस्वीकृत हुआ ।

निवेदन

इस सत्र में कुल 320 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 315 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 05 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया ।

प्रश्न

इस सत्र के दौरान कुल 2467 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 1931 प्रश्नों की सूचनाएँ स्वीकृत किया गया । स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में 41 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें से 38 के उत्तर प्राप्त हुये, 1506 तारांकित प्रश्न थे जिनमें से 1282 के उत्तर प्राप्त हुये एवं 384 अतारांकित प्रश्न थे ।

ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 168 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गयी जिसमें से 20 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी तथा 146 ध्यानाकर्षण सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया एवं 02 ध्यानाकर्षण सूचनायें अमान्य हुए ।

शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा लोकहित के विभिन्न विषयों को उठाया गया ।

गैर सरकारी संकल्प

इस सत्र में कुल 106 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए । स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प की सूचनाओं में से 70 सूचनाएँ सदन में वापस लिये गये, 07 सूचनाएँ सदन द्वारा स्वीकृत हुये, 03 सूचनाएँ सदन द्वारा अस्वीकृत किये गये तथा 26 सूचनाएँ अपृष्ठ हुये ।

शोक प्रकाश

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतृप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

1. स्वर्गीय गोवर्धन नायक, पूर्व स०वि०स०
2. स्वर्गीय शिवपूजन सिंह, पूर्व स०वि०स०
3. स्वर्गीय रामचन्द्र राय, पूर्व स०वि०स०
4. स्वर्गीय रामनाथ गुप्ता, पूर्व स०वि०प०
5. स्वर्गीय रमेश प्रसाद सिंह, पूर्व स०वि०प०
6. स्वर्गीय तारा गुप्ता, पूर्व स०वि०स०
7. स्वर्गीय सूर्य नारायण सिंह यादव, पूर्व स०वि०स०
8. स्वर्गीय गुणानंद झा, पूर्व स०वि०स०
9. स्वर्गीय ब्रह्मानंद मंडल, पूर्व सांसद
10. स्वर्गीय सरयुग मंडल, पूर्व स०वि०स०

दिनांक 01 मार्च, 2024 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी । जिसके उपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया ।

सधन्यवाद

आपका विश्वासी

सेवा में,

....

....

....

3/5/24

(राज कुमार)
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।